प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला चौकी – भ्र0नि0 ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना– प्र0आ0के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष– 2022
प्र0सू0रि0 सं.......27/22....... दिनांक.......29/1/22.......

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7

(2) अधिनियम.. धाराएं ....

(3) अधिनियम...................................... धाराएं...............................

(4) अन्य अधिनियम एवं ...... धाराएं...............................

3. (क) घटना का दिन–शुक्रवार दिनांक. 28.01.2022 से दिनांक...03.00 पीएम........ तक
पहर..................... बजे से ....

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना .... दिनांक– 10.01.2022 समय : 11.00 एएम

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....675.......... समय..........2-30 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुइ– स्वयं हाजिर होकर, लिखित/मौखिक– लिखित

1. घटना स्थल का ब्यौरा
2. (क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी से बजानिब पूर्व–दक्षिण दिशा बफासला करीब 150 किमी.
.... बीट संख्या..........

(ख) पता – पटवार घर भादरा जिला हनुमानगढ़

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस

थाने का नाम.. जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला)

(क) नाम– श्री धन्नाराम

(ख) पिता/पति का नाम– श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह

(ग) जन्म तिथि/उम्र 30 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय (ङ) पासपोर्ट संख्या.................................

जारी करने की तिथि................................. जारी करने का स्थान.................................

(च) व्यवसाय– ......

(छ) पता– गांव कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1.श्री मंगल विकास पुत्र श्री विजय कुमार शर्मा जाति–ब्राह्मण, उम्र–30 वर्ष निंवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी, पटवार मण्ड़ल कुंजी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण...कोई नहीं

9. चोरी हुई सम्पति का विवरण :– आरोपित श्री मंगल विकास राजस्व पटवारी, पटवार मण्ड़ल कुंजी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा परिवादी श्री धन्नाराम से उसके पिता व चचेरे भाई के नाम रजिस्ट्री का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 10,000/–रूपये रिश्वत के मांग कर प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना ।

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य–..................... ट्रेप राशि **10,000/–रू0**

11. **प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु**

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,हनुमानगढ़ विषयः–रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत महोदय, निवेदन है कि मैं धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट,

उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ का निवासी हूं। मेरी कृषि भूमि गांव कूंजी में है जिसकी 21 वर्ष पुर्व रजिस्ट्री मेरे पिता व चचेरे भाई राजेश के नाम से हो चुकी है। जानकारी के अभाव में हम उस समय इंतकाल नहीं चढवा पाये। अब मेरे द्वारा उक्त कृषि भूमि का इंतकाल चढवाने हेतु ग्राम कूंजी के पटवारी श्री मंगल विकास से सम्पर्क किया तो पटवारी श्री मंगल विकास ने मेरे से उक्त कार्य के लिए 2,000/–रूपये रिश्वत के ले लिये तथा कहा कि गिरदावर जी आपके इंतकाल चढवाने के लिए मान नहीं रहे है तथा ओर रूपये की मांग कर रहे हैं, और आकर मिलने की बात कही। श्रीमान जी पटवारी श्री मंगल विकास मेरे से मेरे जायज काम के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। जबकि पूर्व में मैं उसे 2,000/–रूपये दे चुका हूं और अब मैं उसे और रूपये न देकर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं। मेरे पिताजी की मानसिक स्वास्थय की दवाई चल रही है इस वजह से वे घर पर ही रहते है तथा सारा कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है, मेरी श्री मंगल विकास से कोई रंजीश या लेन देन बकाया नहीं है। कृप्या कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ मोबाईलः– 97859–76016

कार्यवाही पुलिस

दिनांक :–10.01.2022 समयः–11.00 एएम स्थान एसीबी कार्यालय हनुमानगढ़ प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ने ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने जानकर से टाईप करवाकर व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि हमारी कृषि भूमि गांव कूंजी में है जिसकी 21 वर्ष पुर्व रजिस्ट्री मेरे पिता व चचेरे भाई राजेश के नाम से हो चुकी है। जानकारी के अभाव में हम उस समय इंतकाल नहीं चढवा पाये। अब मेरे द्वारा उक्त कृषि भूमि का इंतकाल चढवाने हेतु ग्राम कूंजी के पटवारी श्री मंगल विकास से सम्पर्क किया तो पटवारी श्री मंगल विकास ने मेरे से उक्त कार्य के लिए 2,000/–रूपये रिश्वत के ले लिये तथा कहा कि गिरदावर जी आपके इंतकाल चढवाने के लिए मान नहीं रहे है तथा ओर रूपये की मांग कर रहे हैं, और आकर मिलने की बात कही। श्रीमान जी पटवारी श्री मंगल विकास मेरे से मेरे जायज काम के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। जबकि पूर्व में मैं उसे 2,000/–रूपये दे चुका हूं और अब मैं उसे और रूपये न देकर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं। मेरे पिताजी की मानसिक स्वास्थ्य की दवाई चल रही है इस वजह से वे घर पर ही रहते है तथा सारा कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है, मेरी श्री मंगल विकास से कोई रंजीश या लेन देन बकाया नहीं है। दरियाफ्त पुलिस व परिवादी श्री धन्नाराम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री धन्नाराम को गोपनीय सत्यापन हेतु कहा गया तो उसने अपनी स्वीकृति दी जिस पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चलाने व बंद करने की विधि समझाई गई तथा ब्यूरो के ओमप्रकाश कानि0 ड्राईवर 578 से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी ने बताया कि मैनें अभी जरिये फोन पटवारी से संपर्क किया तो उन्होने आज बाहर होना बताया है जिन्होने मुझे कल बुलाया है आप श्री ओमप्रकाश जी को कल भेज देना मैं सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर परिवादी श्री धन्नाराम को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया एंव श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 को भी आवश्यक हिदायत दी की कल दिनांक 11.01.2022 को परिवादी से संपर्क कर सत्यापन कार्यवाही करे। दिंनाक 11.01.2021 को समय 10.15 एएम पर श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 578 को ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर परिवादी से सम्पर्क करने गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत कर भादरा की ओर रवाना किया। समय 03.40 पीएम पर श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 का मन् पुलिस निरीक्षक के पास फोन आया व बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग का सत्यापन हो चुका है एंव परिवादी ने कहा कि मै कल रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में आ जांउगा इस पर परिवादी को वहीं छोड़ने व स्वंय के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। समय 07.00 पीएम पर श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 578 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर भादरा पहुंचा तो सरकारी हॉस्पीटल के नजदीक परिवादी धन्नाराम उपस्थित मिला, परिवादी धन्नाराम व मै वहां से रवाना होकर पटवार घर के नजदीक पहुचें, वहां पर ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी धन्नाराम को सुपुर्द कर परिवादी को पटवार घर की तरफ रवाना किया, मैं गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया। कुछ समय पश्चात परिवादी धन्नाराम मेरे पास आया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मेरी मंगल विकास पटवारी से रिश्वत के संबंध में बातचीत हो गयी है जिसने मेरे से 10,000/–रूपये मांगे है मुझे कल शाम को बुलाया है एंव परिवादी धन्नाराम ने कहा की मै कल रिश्वत राशि 10,000/–रूपये की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में आ जाउगा, इस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोड़ते हुए मै वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ उपस्थित आया हूं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर का चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों की ताईद हुई । आईन्दा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित